

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024—ज्येष्ठ 24, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, उज्ज्वल अग्रवाल पिता दिलीप मटकरी माता श्रीमती हर्षा अग्रवाल, निवासी—584/1, मनोज निखिल कुंज माता मंदिर काली चट्टान, कालापाठा, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.). पूर्व में मुझे उज्ज्वल मटकरी पिता श्री दिलीप मटकरी श्रीमती हर्षा मटकरी कुलनाम से जाना जाता था। अब मैंने अपना कुलनाम मटकरी से बदलकर अग्रवाल कर लिया है. अतः अब से मुझे कुलनाम से ही नामोविष्ट तथा संबोधित किया जावे.

संरक्षक,

(माता—हर्षा अग्रवाल)

पति—स्व. श्री मनोज अग्रवाल.

(G-1161)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी KAPIL KHAN के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश KAFEEL KHAN दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के वोटर कार्ड, राशन कार्ड, स्थानीय निवासी आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम KAPIL KHAN दर्ज है, उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. प्रार्थी के आधार कार्ड में KAFEEL KHAN के स्थान पर सही नाम KAPIL KHAN दर्ज किया जावे एवं भविष्य में प्रार्थी को KAPIL KHAN के नाम से ही पढ़ा लिखा, जाना—पहचाना जावे व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(KAFEEL KHAN)

नया नाम

KAPIL KHAN (कपिल खान)

पुत्र—श्री RAFEEL KHAN

(G-1162)

पता—निम्बाजी की खो, जीवजीगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

(U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firms "M/s Sobhani Associates" of Bhopal vide Reg No. 01-01-01-00073-14, Year 2014-15 Bhopal dated of Registration 16-5-2014:-

1. That Shri Narain Gahimal Sobhani S/o Late Shri Gehimal Sobhani and Ms. Priyanka Hironi D/o Shri Dilip Hironi as partners desided to run the business in regular partnership firm with effect from 18-7-2013.
2. According to the partnership Deed dated 11-9-2018, Mr. Narain Gahimal Sobhani S/o Late Shri Gehimal Sobhani is voluntarily retiring from the said partnership firm and Mrs. Asha Hironi W/o. Mr. Dilip Hironi Entering the firm as a partner on the said date itself.
3. That Ms Priyanka Hironi D/o Shri Dilip Hironi and Mrs. Asha Hironi W/o Mr. Dilip Hironi have decided to run the business in regular partnership to share profit and loss of the same firm and same business from 11-09-2018.

For Sobhani Associates,
PRIYANKA HIRONI
(Partner).

(G-1163)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम मुन्नी पहाड़े आत्मजा श्री तिलोकती पहाड़े था, मैंने अपने पूर्व के नाम को विवाह के पश्चात परिवर्तित कर ममता टांडेकर पत्नी श्री कृष्णा टांडेकर कर लिया है. मेरा नाम ममता टांडेकर शासकीय दस्तावेजों शैक्षणिक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आदि में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मुन्नी पहाड़े)
पुत्री-श्री तिलोकती पहाड़े

नया नाम
(ममता टांडेकर)
पत्नी-श्री कृष्णा टांडेकर.

(G-1164)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम राहुल पाटिल आत्मज श्री लक्ष्मण पाटिल था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर राहुल गुप्ता आत्मज श्री लक्ष्मण पाटिल कर लिया है. मेरा नाम राहुल गुप्ता शासकीय दस्तावेजों शैक्षणिक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राहुल पाटिल)

नया नाम
(राहुल गुप्ता)
लक्ष्मण पाटिल.

(G-1165)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम डी. आर. उईके आत्मज श्री ए. आर. उईके था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर ढोलू राम उईके आत्मज श्री ए. आर. उईके कर लिया है. मेरा नाम ढोलू राम उईके शासकीय दस्तावेजों शैक्षणिक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आदि में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(डी. आर. उईके)

नया नाम
(ढोलू राम उईके)
ए. आर. उईके.

(G-1166)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्दुलाल मेरे पुत्र के आधारकार्ड में त्रुटिवश उसका नाम महेन्द्र सिंह वर्मा (MAHENDRA SINGH VERMA) गलत अंकित हो गया है. अतः उसके सभी दस्तावेजों में उसका नाम महेन्द्र सिंह (MAHENDRA SINGH) है. जो कि सही है. भविष्य में उसे उसके सही नाम महेन्द्र सिंह से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(चन्दुलाल)

निवासी-10/13, ग्राम प्रतापपुरा, ग्राम पंचायत बड़वेली,
जनपद पंचायत, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

(G-1167)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार दोहरे आत्मज श्री आज़ाराम दोहरे, निवासी-म नं. 230, प्रियदर्शिनी नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार दोहरे (VIJAY KUMAR DOHARE) अंकित है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजय दोहरे (VIJAY DOHARE) अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः भविष्य में मुझे विजय कुमार दोहरे (VIJAY KUMAR DOHARE) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विजय दोहरे)

(VIJAY DOHARE)

नया नाम

(विजय कुमार दोहरे)

(VIJAY KUMAR DOHARE)

(G-1168)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्राथमिक स्कूल के दस्तावेज में शकीला बी पिता गफूर खा लिखा हैं. विवाह उपरांत मेरा नाम शकीला बानो पिता स्व. अब्दुल गफूर पति सादिक हुसैन मन्सूरी हो गया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(शकीला बी)

नया नाम

(शकीला बानो)

पिता-स्व. अब्दुल गफूर,

पति-सादिक हुसैन मन्सूरी,

पता-27/1, जूना रिसाला, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1169)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्पित कुमार अग्रवाल आत्मज श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी-म.नं.-16, गली नं.-03, गुजरपुरा, भोपाल (म.प्र.) हूँ. मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम अर्पित कुमार अग्रवाल आत्मज श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल दर्ज है. मेरे पुत्र समर्थ अग्रवाल के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम अर्पित अग्रवाल अंकित था, प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अर्पित कुमार अग्रवाल पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(अर्पित अग्रवाल)

नया नाम

(अर्पित कुमार अग्रवाल)

आत्मज श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल.

(G-1170)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नटवरलाल वर्मा, पुत्र श्री छेदीलाल, निवासी 416, मानसरोवर नगर, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र एवं शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में उसका वास्तविक नाम रिमझिम वर्मा अंकित है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम लाली वर्मा हो गया है, अब मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रिमझिम वर्मा भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रहेगा।

भवदीय

(नटवर लाल वर्मा)

(G-1171)

नाम परिवर्तन

मैं, आयुषी मूंगड पति योगेश मूंदडा, निवासी मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे समस्त शैक्षणिक का दस्तावेजों में मेरा नाम आयुषी मूंगड दर्ज है। मेरा विवाह योगेश मूंदडा निवासी मनासा के साथ सम्पन्न हुआ है। विवाह पश्चात मेरे द्वारा अपना नाम आयुषी मूंगड से परिवर्तित कर आयुषी मूंगड मूंदडा घोषित किया है। भविष्य में मुझे आयुषी मूंगड मूंदडा नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जावें।

पुराना नाम

(आयुषी मूंगड)

नया नाम

(आयुषी मूंगड मूंदडा)

(G-1172)

नाम परिवर्तन

मैं, निलेश कुमार जैन पिता धनराज जैन, निवासी—चंद्रा काम्पलेक्स, झाडु बाजार बड़वानी, जिला बड़वानी, वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश “निति” तथा पिता का नाम निलेश कुमार गंगवाल जैन एवं माता का नाम दिप्ती गंगवाल जैन अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम “निर्वाणी जैन” तथा पिता का नाम निलेश कुमार जैन एवं माता का नाम दिप्ती जैन है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को नये नाम “निर्वाणी जैन” तथा पिता का नाम निलेश कुमार जैन एवं माता का नाम दिप्ती जैन अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

भवदीय

(निलेश कुमार जैन)

(G-1173)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनीता सोनकेसरी पुत्री स्व. दाल चंद कोष्टा पत्नी श्री प्रेमचंद सोनकेसरी (Anita Sonkesari D/o Late Dal Chand Koshta W/o Shri Premchand Sonkesari), निवासी—म. नं. 748/19, मेघदूत नगर, इंदौर (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम त्रिवेणी कोष्टा (Triveni Kostha) था। किन्तु मेरा विवाह श्री प्रेमचंद सोनकेसरी (Shri Premchand Sonkesari) से होने के उपरांत मेरा नाम अनीता सोनकेसरी (Anita Sonkesari) रखा गया था। जो मेरे मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड अंकित है। किंतु आधार कार्ड में मेरा नाम त्रिवेणी कोष्टा (Triveni Kostha) दर्ज है। जोकि मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड, स्थानीय मूल निवासी, प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड में दर्ज है, अर्थात् दोनों ही नाम मेरे ही हैं। प्रकाशन के उपरांत मुझे अनीता सोनकेसरी (Anita Sonkesari) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं मेरे आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(त्रिवेणी कोष्टा)

(Triveni Kostha)

नया नाम

(अनीता सोनकेसरी)

(Anita Sonkesari)

(G-1174)

(W/o Shri Premchand Sonkesari)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश युवराज राजपूत (YUVRAJ RAJPUT) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम प्रणय सिंह राजपूत (PRANAY SINGH RAJPUT) है, अब मेरे पुत्र का सही नाम प्रणय सिंह राजपूत (PRANAY SINGH RAJPUT) लिखा व पढ़ा जावे।

(पिता—रामबिलास राजपूत)

मकान नं. 55, वार्ड नं. 03,

तहसील खिरकिया, पोस्ट मॉदला, मुहाल कलां,

मॉदला, हरदा (म.प्र.).

(G-1175)

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ईडन (EDEN), पता—खसरा नंबर 837, बिजलपुर, तेजपुर गड़बड़ी, इंदौर 452001, पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0304-21 सन् 2020-21, दिनांक 1-2-2021 से फर्मों के रजिस्ट्रार इंदौर संभाग इंदौर में पंजीकृत है। पूर्व में चार भागीदार 1. धृति ईडन ग्रीनस प्राइवेट लिमिटेड, 2. श्री नंदलाल वाधवानी पिता श्री दौलत राम वाधवानी, 3. श्रीमती आंचल कपूर पिता श्री राजकुमार कपूर एवं 4. श्री नीरज वाधवानी पिता श्री नंदलाल वाधवानी कार्य संचालित कर रहे थे। जिसमें से धृति ईडन ग्रीनस प्राइवेट लिमिटेड दिनांक 23-4-2024 को स्वयं की इच्छा से भागीदारी फर्म से निवृत्त हो रहे हैं एवं धृति ईडन ग्रीनस एलएलपी दिनांक 23-4-2024 से स्वयं की इच्छा से भागीदारी फर्म से सम्मिलित हो रहे हैं। अतः दिनांक 23-4-2024 से धृति ईडन ग्रीनस प्राइवेट लिमिटेड को फर्म से निवृत्त माना जाए एवं धृति ईडन ग्रीनस एलएलपी को फर्म भागीदार माना जाए।

मैसर्स ईडन**आंचल कपूर,****(Partner).**

(G-1176)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सावित्री चर्मकार पिता प्रेमलाल, निवासी—वार्ड नं. 06, ग्राम क्योटार थाना व तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रों व अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सावित्री चर्मकार अंकित है। मैं अपना नाम बदलकर सावित्री चर्मकार से सावित्री बसंत रख ली हूँ, प्रकाशन दिनांक से मुझे सावित्री बसंत के नाम से जाना-पहचाना एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(सावित्री चर्मकार)**(SAVITRI CHARMKAR)**

(G-1177)

नया नाम

(सावित्री बसंत)**(SAVITRI BASANT)****उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का नाम विश्वरंजन गुप्ता (Vishwaranjan Gupta) एवं माता का नाम श्रीमती शैलजा गुप्ता (Shailja Gupta) है। जो मेरे सभी दस्तावेजों में लिखा गया है जो कि सत्य एवं सही है। शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम विश्वरंजन (Vishwaranjan) माता का नाम, शैलजा (Shailja) लिखा है, जिसमें उपनाम नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे अन्य शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे पिता का नाम विश्वरंजन गुप्ता (Vishwaranjan Gupta) एवं शैलजा गुप्ता (Shailja Gupta) लिखा जावे, जो कि सत्य एवं सही है। उनको इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है।

प्रार्थी

(प्रतीक माहेश्वरी)

(G-1178)

माहेश्वरी भवन, लोहा मण्डी, ग्वालियर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद शर्मा है. जो कि गलत है. जबकि मेरा नाम भूपेन्द्र पाँडे पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद शास्त्री है. जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. भविष्य में मुझे भूपेन्द्र पाँडे पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद शास्त्री के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(भूपेन्द्र शर्मा)

नया नाम
(भूपेन्द्र पाँडे)
पुत्र-स्व. श्री हरिप्रसाद शास्त्री

(G-1179)

नाम परिवर्तन

मैं, जगरूप प्रसाद पिता एनका प्रसाद (Jagroop Prasad S/o Shri Enka Prasad), निवासी-ग्राम परसिया, तहसील-जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरा नाम मेरे सर्विस के समस्त दस्तावेजों में त्रुटिवश जगरूप प्रसाद पिता एनका प्रसाद दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम जगरूप प्रसाद पटेल पिता एनका प्रसाद पटेल (Jagroop Prasad Patel S/o Shri Enka Prasad Patel) है. जो कि मेरी जाति प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जगरूप प्रसाद पटेल पिता एनका प्रसाद पटेल (Jagroop Prasad Patel S/o Shri Enka Prasad Patel) जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जगरूप प्रसाद)
पिता-एनका प्रसाद

नया नाम
(जगरूप प्रसाद पटेल)
पिता-एनका प्रसाद पटेल
(Jagroop Prasad Patel S/o Shri Enka Prasad)

(Jagroop Prasad S/o Shri Enka Prasad)
(G-1180)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता ललिता बाई सौलखे पति श्री उत्तम सौलखे जाति लोधी, निवासी-वार्ड नं. 16, अवन्ती चौक भरवेल, तहसील जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरा नाम ललिता बाई सौलखे है. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज है तथा मेरे मतदाता परिचय-पत्र में मेरा नाम ललीता दर्ज है. अन्य अभिलेखों में मेरा पूर्व नाम रामेश्वरी बाई सौलखे दर्ज है. यह कि उपरोक्त सभी नाम ललिता बाई सौलखे, ललीता व रामेश्वरी बाई सौलखे एक ही महिला के नाम है. अर्थात् मेरे ही नाम है. प्रकाशन उपरांत मेरा नाम ललिता बाई सौलखे लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामेश्वरी बाई सौलखे)

नया नाम
(ललिता बाई सौलखे)

(G-1181)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S SMO INDUSTRIES जो 01, INDORE ROAD KASRAWAD KHARGONE में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 03-30-08 -0146-19, दिनांक 07 सितम्बर 2019 है. जिसमें दिनांक 14-5-2024 को भागीदार स्व. श्री सीताराम अग्रवाल पिता श्री मथुरालाल अग्रवाल, निवासी-68, ग्राम-ओझरा, तहसील-कसरावद, जिला खरगोन की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 15-5-2024 से स्वतः फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 15-5-2024 को श्री शैलेन्द्र पुत्र स्व. श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी-68, ग्राम ओझरा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

M/S SMO INDUSTRIES,
तुलसीदास मथुरालाल अग्रवाल,
(भागीदार).

(G-1182)

नाम परिवर्तन

मैं, रिया जैन (RIYA JAIN) पिता स्व. श्री सुमित प्रकाश जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कु. खुशबू (KU. KHUSHBOO) था. जो मेरे पिता स्व. श्री सुमित प्रकाश जैन की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रिया जैन पिता स्व. श्री सुमित प्रकाश जैन के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रिया जैन एवं कु. खुशबू दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरे पिता स्व. श्री सुमित प्रकाश जैन की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में मेरा नाम कु. खुशबू के स्थान पर मेरा सही नाम रिया जैन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कु. खुशबू)
(KU. KHUSHBOO)

नया नाम
(रिया जैन)
पिता-स्व. श्री सुमित प्रकाश जैन,
पता-मुखर्जी नगर, मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1183)

नाम परिवर्तन

मैं, चरनजीत कौर (CHARANJIT KAUR) पत्नि श्री इन्द्रपाल सिंह आहूजा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शैली कौर (SHELLY KAUR) था. जो मेरे आधारकार्ड एवं पैन कार्ड में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, चरनजीत कौर पत्नि श्री इन्द्रपाल सिंह आहूजा के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. चरनजीत कौर एवं शैली कौर दोनों मेरे ही नाम है. अतः मेरे आधारकार्ड एवं पैनकार्ड में शैली कौर के स्थान पर मेरा सही नाम चरनजीत कौर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शैली कौर)

नया नाम
(चरनजीत कौर)
पत्नी-श्री इन्द्रपाल सिंह आहूजा,
पता-45, दाल बाजार, कैनरा बैंक के पास,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1184)

PUBLIC NOTICE

"Public Notice is hereby given that the partnership Firm M/s Shiv Enterprises having Firm Registration Number: 01-01-01-0185-16 dated 1-9-2016 having Address at 38, Amrapali Enclave, Chunabhatti, Bhopal, Madhya Pradesh consisting of partners Mohak Raja Sharma D/o Syed Moosa Raja, Mr. jethanad Ahuja S/o Lt Shri Mohandas Ahuja, by virtue of partnership agreement dated 24-6-2016. Now with effect from 31-3-2017 one new partner Mrs. Sunila Raja Sharma W/o Syed Moosa Raja is inducted as partner along with all continuing partners. Party No.2 Jethanand Ahuja S/o) Lt. Shri Mohandas Ahuja retired from the firm with effect from 31-3-2017. Be Informed Public in Large"

M/s Shiv Enterprises,
MOHAK RAJA SHARMA,
JETHANAND AHUJA,
SUNILA SHARMA RAJA
(Partner).

(G-1185)

नाम परिवर्तन

मैं, चम्पा भवले (Champa Bhawle) पुत्री श्री रूपसिंग भवले सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम चम्पा भवले (Champa Bhawle) पुत्री श्री रूपसिंग भवले था. जो सभी शासकीय, अर्ध शासकीय प्रपत्रों में दर्ज है. किन्तु मेरा विवाह श्री मुनसिंग डावर के साथ होने से अब मेरा नाम चम्पा डावर हो गया है. इस प्रकाशन के उपरांत मुझे चम्पा डावर पत्नी श्री मुनसिंग डावर के नाम से ही पहचाना एवं पढ़ा लिखा जाए.

पुराना नाम
(चम्पा भवले)
(CHAMPA BHAWLE)

नया नाम
(चम्पा डावर)
(CHAMPA DAWAR)
पत्नी-श्री मुनसिंग डावर,
पता-150, आछलवाडी लेहकू,
खरगौन (म.प्र.).

(G-1186)

नाम परिवर्तन

मैं, राम स्वरूप जाटव पिता श्री मानकलाल जाटव, निवासी-म.नं. 105, रांझी नई बस्ती, बड़ा पत्थर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में राम स्वरूप चंद धरी दर्ज है. जो कि गलत है. इसी प्रकार अन्य शैक्षणिक दस्तावेज में राम स्वरूप चौधरी दर्ज है. जो की सही है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम स्वरूप जाटव के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(रामस्वरूप चंद धरी रामस्वरूप चौधरी)

नया नाम
(राम स्वरूप जाटव)
(RAM SWAROOP JATAV)
पिता-मानकलाल जाटव

(G-1187)

CHANGE OF NAME

I, SABIHA SHABBIR BARUDWALA D/O"SHABBIR MUSTANSIR BARUDWALA here by declare that after marriage my name has been changed as AMATULLAH MATKAWALA W/O ABDUL QUADIR MATKAWALA so from now and in future I, will be known by my new name.

Old Name
(SABIHA SHABBIR BARUDWALA)

New Name
(AMATULLAH MATKAWALA)
33, New Saify Nagar, Khatiwala Tank,
Indore (M.P.)

(G-1188)

नाम परिवर्तन

मैं, माया देवी खत्री (MAYADEVI KHATRI) पत्नी स्व. श्री नर बहादुर खत्री, ई-127, सुभाष कॉलोनी, सेमरा कलां गोविंदपुरा, भोपाल. मेरा पूर्व नाम माया देवी (MAYADEVI) था. प्रकाशन उपरांत माया देवी खत्री (MAYADEVI KHATRI) के नाम से जानी एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(माया देवी)
(MAYA DEVI)

नया नाम
(माया देवी खत्री)
(MAYA DEVI KHATRI)

(G-1189)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सागर एसोसिएट कंपनी 21, बिलगैयाँ वार्ड, बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 06-09-02-0116-17, सन् 2017-2018, दिनांक 17-12-2017 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय दिनांक 28-10-2017 को श्री रविन्द्र कुमार राय, श्री अनिल लखेरा, श्री अशोक राय, श्री सूर्य प्रकाश राय व श्री राजेश राय भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1-4-2024 को फर्म के भागीदार से श्री अनिल लखेरा व श्री अशोक राय स्वेच्छा से पृथक् हो गये और उक्त दिनांक 1-4-2024 को श्री सत्यम राय, श्री प्रयान्सु राय व श्री आलेख राय को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में फर्म में श्री रविन्द्र कुमार राय, श्री सूर्य प्रकाश राय, श्री राजेश राय, श्री सत्यम राय, श्री प्रयान्सु राय व श्री आलेख राय भागीदार हैं। फर्म के पता परिवर्तन दिनांक 1-4-2024 को 21, बिलगैयाँ वार्ड, बीना, जिला सागर के स्थान से 109, वृन्दावनधाम कॉलोनी, राजीव गॉंधी, वार्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.) हो गया है। फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है।

फर्म मेसर्स सागर एसोसिएट कंपनी,
रविन्द्र कुमार राय,
(भागीदार).

(G-1190)

21, बिलगैयाँ वार्ड, बीना जिला सागर

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शांता बाई (SHANTABAI) पति श्री कमलेश चौधरी था, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सावित्री बाई (SAVITRIBAI) पति श्री कमलेश चौधरी कर लिया है, अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों पर शांता बाई के स्थान पर सावित्री बाई (SAVITRI BAI) लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(शांता बाई)
(SHANTABAI)

नया नाम
(सावित्री बाई)
(SAVITRIBAI)
पति-श्री कमलेश चौधरी,
पता-61, राम नगर, मुसाखेडी,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1191)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम जया कटारिया (JAYA KATARIA) पिता श्री भगवानदास कटारिया था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, विवाह पूर्व के आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित था, श्री विजय मुरजानी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्रिषिता मुरजानी (PRISHITAMURJANI) हो गया था, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, किन्तु विजय मुरजानी से विवाह विच्छेद उपरान्त पुनः मेरा नाम जया कटारिया (JAYA KATARIA) पिता श्री भगवानदास कटारिया हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर प्रिषिता मुरजानी के स्थान पर जया कटारिया लिखा, पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(प्रिषिता मुरजानी)
(PRISHITAMURJANI)

नया नाम
(जया कटारिया)
(JAYAKATARIA)
पिता-श्री भगवानदास कटारिया,
पता-ए-3, इंदिरा स्क्वेयर, स्कीम नं. 31,
साधुवासवानी नगर के पीछे, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1192)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का बोलता नाम सपना बाई पंजाबी (SAPNABAI PANJABI) पिता सतरामदास था, जो कि मेरे कुछ शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर लिखा गया है। जब कि मेरा वास्तविक व सही नाम उषा बाई पंजाबी (USHABAI PANJABI) पति श्री कृपालदास पंजाबी है। जो कि मेरे वोटर कार्ड, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर सपना बाई पंजाबी के स्थान पर उषा बाई पंजाबी (USHABAI PANJABI) पति श्री कृपालदास पंजाबी लिखा पढा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(सपना बाई पंजाबी)
(SAPNABAI PANJABI)

नया नाम
(उषा बाई पंजाबी)
(USHABAI PANJABI)
पति—श्री कृपालदास पंजाबी,
पता—233, आर खातीवाला टैंक,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1193)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Madhugandha wife of Vijay Kumar, resident of Village & Post-Dhamnoda, Tehsil Dharampuri, District Dhar (M.P.) have changed my name from Madhugandha to Madhu Sharma.

आवेदक,
(विजय कुमार)

(G-1194)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रवि कुमार गुरवानी पुत्र श्री ओमप्रकाश गुरवानी, पता—मकान नं. 107, वार्ड नं. 28, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, म.प्र. है तथा मेरा सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में रवि कुमार त्रुटिवशः लिखा हुआ है। मेरा सही नाम रवि कुमार गुरवानी सही एवं सत्य है। भविष्य में मैं इसी नाम रवि कुमार गुरवानी जाना-पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम
(रवि कुमार)

नया नाम
(रवि कुमार गुरवानी)

(G-1195)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्रीमती शकुन मेहता पत्नी श्री कमलेश कुमार मेहता, पता— 29, 30 बी, कृश अपार्टमेंट, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल, (म.प्र.) है तथा मेरा सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में शकुनतला मेहता त्रुटिवशः लिखा हुआ है। मेरा सही नाम शकुन मेहता सही एवं सत्य है। भविष्य में मैं इसी नाम शकुन मेहता जानी-पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम
(शकुनतला मेहता)

नया नाम
(शकुन मेहता)

(G-1196)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 मई 2024

रा.प्र.क्र.-02-बी-113(1)-2023-24

मौजा-मोहगांव रा.नि.मं. सारना

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

तारीख पेशी 21-6-2024

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) द्वारा]

चूंकि, श्री डोंगरदेव धाम मंदिर सेवा समिति भूला मोहगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष रामनाथ उइके, उपाध्यक्ष अजय चन्द्रवंशी, सचिव सुमेरचन्द कहार, सहसचिव दिनेश उइके, कोषाध्यक्ष विक्की चन्द्रवंशी, निवासी-भूला मोहगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	लोहे के घोड़े श्री डोंगरदेव धाम मंदिर सेवा समिति भूला मोहगांव के पास उपलब्ध नगद राशि	40 किलोग्राम 10,000/-
2.	अचल सम्पत्ति	मंदिर एवं भवन	

(G-1197)

रा.प्र.क्र.-02-बी-113(1)-2023-24

मौजा-मोहगांव रा.नि.मं. सारना

तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

तारीख पेशी 21-6-2024

प्रारूप-पांच

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) द्वारा]

चूंकि, श्री डोंगरदेव धाम मंदिर सेवा समिति भूला मोहगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष रामनाथ उइके, उपाध्यक्ष अजय चन्द्रवंशी, सचिव सुमेरचन्द कहार, सहसचिव दिनेश उइके, कोषाध्यक्ष विक्की चन्द्रवंशी, निवासी-भूला मोहगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 9-5-2024 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21-6-2024 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री डोंगरदेव धाम मंदिर सेवा समिति भूला मोहगांव, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, अचल सम्पत्ति डोंगरदेव धाम मंदिर.

(G-1198)

सुधीर कुमार जैन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश
प्र.क्र.0001/बी-113/2024-25.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

आवेदक मुख्य न्यासी मुख्य न्यासी श्रीमति अयोध्याबाई पाटीदार पति श्री मोहनलाल पाटीदार, अध्यक्ष, आयुष्मान गौ आश्रम ट्रस्ट, ग्राम दड़ौली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 12-6-2024 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| • 1. लोक न्यास का नाम | : | आयुष्मान गौ आश्रम, ट्रस्ट, ग्राम दड़ौली, जिला नीमच मध्यप्रदेश |
| 2. चल संपत्ति | : | 5100/- रुपये नगद. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | नायब तहसीलदार, तहसील जावद के प्रतिवेदन अनुसार,
ग्राम गुडाहार स्थिति भूमि सर्वे नंबर 327/2/1 रकबा 2.1291 हेक्टर
व्यवसायिक भूमि राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल पिता हजारीलाल,
अयोध्याबाई पति मोहनलाल जाति पाटीदार के नाम-से दर्ज है. |

(G-1199)

राजेश शाह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
जूनी इन्दौर, दिनांक 15 मई 2024
(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 3881-रीडर-1-24.-आवेदक श्री वर्धमान सौभाग्य ललित विश्वमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-34, अनुराग नगर, प्रेस काम्पलेक्स के पास ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में, न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता | : | श्री वर्धमान सौभाग्य ललित विश्वमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, 34, अनुराग नगर, प्रेस काम्पलेक्स के पास ए. बी. रोड, इन्दौर. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 27,000 |

आज दिनांक 15 मई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1200)

घनश्याम धनगर, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग राऊ, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 28 मई 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस-1951) की धारा 4 के अन्तर्गत]

क्र. 150-री.राऊ-2024.-माँ श्रृंगार गौरी धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | माँ श्रृंगार गौरी धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास. |
| पता | : | 103, गोपुर कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर. |
| अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| चल सम्पत्ति | : | 11,000/- |

आज दिनांक 27 मई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1201)

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
प्र.क्र.471/बी-113/2024. राजनगर, दिनांक 17 मई 2024

फार्म-4

[नियम 5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत]

आवेदक श्री गुरुशरण शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, निवासी-ग्राम पण्डोखर, तहसील भांडेर, जिला दतिया, हाल खजुराहो जिला छतरपुर, (म.प्र.) के द्वारा जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चेरिटेबल ट्रस्ट पण्डोखर धाम के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोकन्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया गया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 7-6-2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर पर दोपहर 03:00 बजे की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का पूरा नाम व पता | : | जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चेरिटेबल ट्रस्ट पण्डोखर धाम. |
| 2. चल संपत्ति | : | कुल 4,00,000/- |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | पांच करोड़ लगभग |

आज दिनांक 17 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रखर सिंह, (आई.ए.एस)

(G-1202)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
सोहागपुर, दिनांक 21 मई 2024

प्रारूप क्रमांक-4(1)

यतः कि डॉ. जयकृष्ण तिवारी, निवासी-वार्ड नम्बर 16, सिचाई विभाग के पीछे, जिला शहडोल द्वारा डॉ. श्री जयकृष्ण तिवारी, निज न्यास भगवान पशुराम धाम कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, (म.प्र.) को लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951) का 30 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-3-2024 को समय 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवासान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अतः आज दिनांक 19-2-2024 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : डॉ. श्री जयकृष्ण तिवारी, निज न्यास भगवान पशुराम धाम कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.).
2. अचल संपत्ति : निल
3. चल सम्पत्ति : आराजी खसरा नम्बर 58, ग्राम कल्याणपुर, रकवा 10 डिसमिल, पटवारी हल्का नम्बर 60, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) अनुमानित मूल्य 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रुपये मात्र).
4. उद्देश्य : सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार, सनातन समाज के आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति हेतु कार्यक्रम आयोजन विप्र/सनातन समाज के मौलिक हितों का संरक्षण, विप्र/सनातन समाज के अन्दर व्याप्त कुरीतियों में सुधार.
5. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राजस्व सीमा.

अरविन्द शाह, (IAS)

(G-1203)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़) वृत्त, जिला भोपाल

प्र.क्र.-1987-0002-बी-113-2023-24

भोपाल, दिनांक 20 मई 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्टार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसा कि आवेदक श्री मोहम्मद शरीफ खान, पुत्र स्व. श्री शकूर खान, निवासी-01, सूरज पैलेस, नियर आदित्य एवेन्यू सिंगारचोली, एयरपोर्ट रोड, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर मोहम्मद शकूर ट्रस्ट" पता-म न. 01, सूरज पैलेस नियर आदित्य एवेन्यू सिंगारचोली, होटल सूरज पैलेस, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.) के पंजीयन हेतु अनुरोध किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 12 जून 2023 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : मोहम्मद शकूर ट्रस्ट" पता-म न. 01, सूरज पैलेस, नियर आदित्य एवेन्यू सिंगारचोली, होटल सूरज पैलेस, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति : ग्राम सिंगारचोली स्थित फ़ैज मस्जिद इन्द्र विहार कॉलोनी, तिलक संस्था में एक किता पंजीकृत प्लॉट.
3. चल सम्पत्ति : 10,000/-

आज दिनांक 20 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-1204)

विनोद सोनकिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बालाघाट, मध्यप्रदेश

क्र. 505-प्रस्तुतकार-2-2024.

रा.प्र.क्र.-01-बी-113-2024-25

बालाघाट, दिनांक 3 जून 2024

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालाघाट, जिला-बालाघाट के समक्ष.

चूँकि श्री अतुल वैद्य (अध्यक्ष) आत्मज श्री सोहन वैद्य, निवासी वार्ड नं. 17, मेन रोड, बालाघाट (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 3-7-2024 को विचार के लिये लिया जायेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बालाघाट (सोहन किरण चेरिटेबल ट्रस्ट, बालाघाट) लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 3-7-2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी सम्पत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा :-

अनुसूची

- | | |
|------------------|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : (सोहन किरण वैद्य चेरिटेबल ट्रस्ट, बालाघाट) |
| 2. चल संपत्ति | : निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति | : निरंक |

आज दिनांक 3 जून 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-1205)

गोपाल सोनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024—ज्येष्ठ 24, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)